

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपी कल्लू अनुपस्थित।

प्रकरण आज आरोपी कल्लू की फौती रिपोर्ट पर विचार हेतु नियत है।

आरोपी कल्लू की मृत्यु के संबंध में वांछित फौती रिपोर्ट आरोपी कल्लू के मृत्यु प्रमाण-पत्र की थाना प्रभारी मौ द्वारा सत्यापित प्रति सहित वापस प्राप्त। उक्त सत्यापित प्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आरोपी कल्लू उर्फ कालीदास की मृत्यु दिनांक : 13/04/2017 को प्रकरण के लम्बानकाल में हो चुकी है। फौती रिपोर्ट के साथ संलग्न तश्दीक पंचनामा अनुसार कल्लू उर्फ कालीदास पुत्र बाबूराम द्वारा उपनाम शर्मा एवं चौबे दोनों ही लिखे जाते थे। जिससे प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण-पत्र अभियुक्त कल्लू पुत्र बाबूराम चौबे का ही होना दर्शित होता है। फलतः आरोपी कल्लू उर्फ कालीदास के विरुद्ध प्रकरण उपशमित हो चुका है। अतः आरोपी आरोपी कल्लू उर्फ कालीदास के संबंध में उपशमन हो जाने के कारण प्रकरण की कार्यवाहियाँ समाप्त की गई।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

शिवानी शर्मा

जे.एम.एफ.सी., गोहद